नागरिक अधिकार–पत्र

दुग्धशाला विकास विभाग, उ0प्र0

भारत एक कृषि प्रधान देश है। विश्व के लगभग 50% भैंस एवं 20% दुधारू पशु भारत में ही पाये जाते हैं जिसमें अधिकॉशतः महिष एवं गोवंशीय है। विगत् 30 वर्षों में भारत के वार्षिक दुग्ध उत्पादन में भी तीव्र गति से वृद्धि हुई है। इसका प्रमुख कारण डेरी सेक्टर में नए निवेश कार्यक्रमों एवं तकनीकों का अपनाया जाना एवं विभिन्न एजेंसियों यथा– विश्व बैंक, विश्व खाद्य कार्यक्रम का भी योगदान है। आज भारत वर्ष विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला देश बन गया है। भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक दुग्ध उत्पादनकर्ता राज्य है। भारत सरकार के पशुपालन, डेरी एवं मत्स्य विभाग के अनुसार वर्ष 2010–11में प्रदेश का दुग्ध उत्पादन लगभग 210 लाख मी0टन है। इसके बाद कमशः राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश आदि राज्य हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अनवरत विकास को सुनिश्चित करने, किसानों को उनके दुधारु पशुओं के दूध का लाभकारी मूल्य दिलवाने एवं कृषि आधारित औद्योगिक ढॉचा सुदृढ़ करने में दुग्ध विकास विभाग का सराहनीय योगदान रहा है। दिन प्रतिदिन बढ़ती जनसंख्या एवं घटती कृषि योग्य भूमि के कारण दुग्ध व्यवसाय ही मात्र एक ऐसा व्यवसाय है जो कृषकों के अतिरिक्त आय का लाभप्रद साधन है।

विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं का उद्देश्य

1– ग्रामीण अंचल के दुग्ध उत्पादकों, जिनमें अधिकांशतः भूमिहीन, सीमान्त एवं लघु कृषक होते हैं, की ग्राम स्तरीय सहकारी दुग्ध समितियॉ गठित कर एवं उनको तकनीकी ज्ञान देकर अधिकाधिक दुग्ध उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करना।

2– समिति के सदस्यों द्वारा उत्पादित दुग्ध की कय व्यवस्था उनके द्वार पर उपलब्ध कराना एवं उसका समुचित मूल्य दिलाकर बिचौलियों के शोषण से मुक्त कराते हुए उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाना।

3– समितियों से संग्रहित दूध को दुग्धशालाओं में विधायन/प्रकिया के उपरान्त पाश्चुरीकृत स्वच्छ एवं कीटाणु रहित दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ नगरीय उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराना।

4–निजी क्षेत्र में स्थापित डेरी उद्योग को बढ़ावा देने हेतु प्रतिस्पर्धात्मक एवं स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराना।

विभाग के मुख्य कार्यकलाप

1– रेगुलेटरी कार्यकलाप– इसके अन्तर्गत विभिन्न नियम/अधिनियम लागू करना यथा–सहकारी समितियों का निबन्धन,आडिट,पंजीयन,निरीक्षण,इंजीनियरिंग कार्य आदि।

2– विकास सम्बन्धी कार्य– प्रदेश में दुग्धशाला विकास के साथ–साथ दुग्ध उपार्जन में वृद्धि करना।

3— व्यवसायिक कार्यक्रम— दुग्ध उपार्जन एवं विपणन का क्रियान्वयन दुग्ध सहकारिताओं के माध्यम से कराना।

दुग्धशाला विकास विभाग के महत्वपूर्ण कार्यक्रम

1. आटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट व बल्क मिल्क कूलर की स्थापना— इस योजनान्तर्गत ग्रामीण अंचलों में नई गठित, पुनर्गठित समितियों को वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर दूध की नाप—तौल, परीक्षण, व दुग्ध मूल्य की जानकारी तत्काल दुग्ध उत्पादक को प्राप्त कराने, पूर्ण पारदर्शिता, समिति के प्रति विश्वास व जागरूकता उत्पन्न होने हेतु इस संयंत्र की स्थापना दुग्ध समितियों में की जा रही है तथा 5 से 10 समितियों के क्लस्टर यूनिट बनाने हेतु बल्क मिल्क कूलर लगाये जा रहे है। इसमें दूध की तत्काल चिलिंग की प्रकिया होने से दूध की गुणवत्ता बनी रहेगी।

2. सूचना तकनीकी व कम्प्यूटरीकरण योजनान्तर्गत (ई—गवर्नेन्स) समस्त दुग्धसंघों के क्रियाकलापों को आधुनिक पद्धति पर एकरूपता लाने हेतु संचार व्यवस्था व कम्प्यूटरीकरण की व्यवस्था करते हुए मुख्यालय से नेटवर्क स्थापित किया जा रहा है।

3. दुग्ध विकास विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों व परियोजनाओं के चालन एवं प्रभावी अनुश्रवण करने तथा दुग्ध उत्पादकों/उपभोक्ताओं को दुग्ध विकास कार्यक्रम से लाभान्वित कराने, उनके हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से प्रदेश के समस्त जनपदीय/मण्डलीय कार्यालयों का आधुनिकीकरण व सुदृढ़ीकरण किया जाना प्रस्तावित है।

4. प्रदेश की दुग्ध समितियों के दुग्ध उत्पादकों के दुधारू पशुओं को 'तकनीकी निवेश' के अंतर्गत कृतिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान केन्द्रों की स्थापना से नस्ल सुधार की सुविधा उपलब्ध कराते हुए पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम यथा— डिवर्मिगं, टीकाकरण, ए0आई आदि की व्यवस्था कर दुधारू पशुओं के दुग्ध उत्पादन क्षमता में बृद्धि हेतु कार्यवाही की जा रही है।

5. सहकारिता क्षेत्र में दुग्ध व्यवसाय से जुड़े उपार्जन संबंधी फील्ड स्टाफ एवं विपणन स्टाफ, समिति सदस्यों/दुग्ध उत्पादकों तथा कार्यालय स्तरीय कर्मचारी/अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना।

विभिन्न स्तर के संगठन व उनके कार्य

राज्य स्तर

राज्य स्तर पर कार्यक्रमों को दिशा और गति प्रदान करने का दायित्व दुग्ध विकास विभाग तथा उसकी एजेन्सियों का है।

दुग्धसंघ स्तर

दुग्धसंघ द्वारा निम्न कार्य किए जा रहे हैं:—

- सहकारी समितियों का गठन।
- दुग्ध उपार्जन, तकनीकी सलाह और कार्यक्रमों के लक्ष्य निर्धारण।
- प्रगति व सुधार के लिए योजना बनाना और उसका कार्यान्यन।
- ग्रामीण विकास कार्यक्रमों एवं सघन मिनी डेरी व महिला डेरी परियोजनाओं के साथ समन्वय।

दुग्धसहकारी समिति स्तर पर

प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियों के माध्यम से निम्न कार्य किए जाते हैं:—

- उत्पादकों से सीधे दूध का उपार्जन कर उचित मूल्य पर उसके खरीद की व्यवस्था, उनके द्वार पर या निकट स्थान पर करना।
- खरीद के समय मौके पर गुणवत्ता की जॉच।
- यथा समय प्राथमिक एवं आकस्मिक पशु चिकित्सा सेवा, कृत्रिम गर्भाधान सेवा व पशुओं के बॉझपन निवारण हेतु शिविरों का आयोजन करना। इस कार्य में पशुपालन विभाग का सहयोग लिया जाता है।

विभाग के अन्तर्गत संचालित योजनायें

प्रदेश में दुग्ध व्यवसाय के क्षेत्र में अमूल आदि से बढ़ती प्रतिस्पर्धा को देखते हुए विभाग द्वारा दुग्ध उपार्जन एवं विपणन को और अधिक सुदृढ़ तथा गतिशील बनाये जाने के संबंध में प्रदेश में निम्नलिखित विशिष्ट योजनायें संचालित की जा रही है:—

1— महिला डेरी परियोजना (स्टेप)।
2— सघन मिनी डेरी परियोजना (राष्ट्रीय कृषि विकास योजना)।
3— दुग्ध संघों/समितियों का सुदृढ़ीकरण, पुनर्गठन एवं विस्तार कार्यक्रम (जि0यो0)।
4— दुग्ध उत्पादन वृद्धि हेतु दुग्ध उत्पादकों/ समितियों को तकनीकी निवेश कार्यक्रम (जि0यो0)।
5— कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम (जि0यो0)।

6— ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध विकास कार्यक्रमों हेतु अवस्थापना सुविधाएँ (ए0एम0सी0यू0 व बी0एम0सी0 की स्थापना) (राज्य0यो0)।
7— सघन दुग्धशाला विकास परियोजना (सेन्ट्रल सेक्टर योजना)।
8— सहकारिताओं को सहायता (केन्द्रीय योजना)।
9— स्ट्रेन्थिनिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर फार क्वालिटी एण्ड क्लीन मिल्क प्रोडक्शन(सेंट्रल सेक्टर योजना)।
10— गोकुल पुरस्कार योजना।
11— चारा बीज उत्पादन एवं विकास कार्यक्रम।

राज्य स्तर पर विभागाध्यक्ष/दुग्ध आयुक्त, अपर दुग्ध आयुक्त एवं मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी, मण्डलीय स्तर पर दुग्धशाला विकास अधिकारी एवं जनपद स्तर पर उप दुग्धशाला विकास अधिकारी से सम्पर्क कर समस्याओं का निराकरण कराया जा सकता है।